



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

APPLICATION FOR BUILDING PERMISSION

A) TYPE OF DEVELOPMENT			
1	File No.	LDA/BP/22-23/OCC/0021 (20190516162622117_OCC)	
2	Submitted On	10 Sep 2022	Last Submitted On 09 Oct 2022
B) DETAILS OF APPLICANT			
1	Application is for Self Use or Selling Purpose?	Land Owner (Self Use)	
2	Name (In Full)	D S INFRAHEIGHTS PVT.LTD	
3	Address Line 1	SUSHANT GOLF CITY, SECTOR-C, POCKET-7, GH-2	Address Line 2
4	City	LUCKNOW	State/Province/Region Uttar Pradesh
5	PIN	226010	E-mail dpsingharchitect@gmail.com
6	Landline Phone		Mobile No. 8141481414
C) PLOT DETAILS			
1	Organization Name	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY	
2	Land Use Zone	0	Land Sub Use Zone
3	Plot Use		Sub Plot Use
4	Development Area		SubDevelopment Area
5	Plan on		Scheme
6	Plot No./ Survey No.		Max Building Height 45
7	Plot area as per site (Sq.Mt.)	0	Plot area as per Document (Sq.Mt.) Note: Minimum Plot area
8	Total Built Up Area (Sq.Mt.)	0	Circle Rate 11183
9	Existing Built up Area (Sq.Mt.)	0	Carpet Area (Sq.Mt.) 0
10	Development Plan		Estimated Cost including Internal Electricity & Internal Water Expense 0

D) DETAILS OF DEVELOPER/ ARCHITECT				
	Name	Address	License No.	Validity
1	AFREEN MIRZA	FLAT NO: 401, MIRZA APPARTMENT, ABRAR NAGAR, KALYANPUR, LUCKNOW	AM1983604	

APPLICATION CHECKLIST

Sl. No.	Description	Yes/No	Remarks
1.	Does your property require completion certificate and Map from Fire department?	No	
2.	Does your property require Completion certificate of Lift?	No	
3.	Does your property require NOC from Electricity Board/Power Department?	No	
4.	Does your property in fall in funnel zone of Airport authority/Defense airport?	Yes	
5.	Does your Property have water supply?	No	
6.	Does your Property have Power supply?	Yes	
7.	Does your Property have drainage facility?	Yes	
8.	Does your Property have Sewage disposal?	Yes	
9.	Does your Property have garbage shoot?	Yes	
10.	Have you fulfilled conditions of approval?	Yes	
11.	Have you constructed EWS/LIG houses against normal units?	NA	
12.	Have you provided Aviation light(In case proposal is in aviation area)?	Yes	
13.	Does your property property have roof top rain water harvesting system?	NA	
14.	Is this compounding?	NA	
15.	Do you have attested copies of receipt of approved building plans?	Yes	
16.	Is there any other document?	No	
17.	Do you have proof of authorized signatory?	Yes	
18.	Do you have Duly filled form B of Annexure 6 with signature?	Yes	
19.	Do you have Duly filled form C of Annexure 6 with signature?	Yes	

F) DOCUMENT CHECKLIST

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

पत्र संख्या-सीएफओ-मेमो/एफएस-2022

दिनांक: अज्ञात, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,

अर्बन वुड्स,

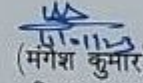
डीएस इन्फ्राहाइट्स लि0

404-406 एलिडको कॉर्पोरेट टावर,

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि यूआईडी संख्या-UPFS/2021/36169/LCK/LUCKNOW/2159/CFO दिनांक 24.08.2021 द्वारा D S INFRAHEIGHTS PVT LTD पता ब्लॉक ए, जीएच-02, सेक्टर-सी पॉकेट-7 सुशान्त गोल्फ सिटी शहीद पथ, लखनऊ हेतु कतिपय शर्तों के साथ ऑन लाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसकी शर्तों का पालन कर लिया गया है, जिसका पुनः यूआईडी संख्या-UPFS/2022/67590/LCK/LUCKNOW/3552/CFO दिनांक 10.12.2022 द्वारा D S INFRAHEIGHTS PVT LTD पता-अर्बनवुड फेस-1 जीएच-2, सेक्टर-सी पॉकेट-7 सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

अतः उक्त भवन हेतु यूआईडी संख्या-UPFS/2022/67590/LCK/LUCKNOW/3552/CFO दिनांक 10.12.2022 द्वारा D S INFRAHEIGHTS PVT LTD पता-अर्बनवुड फेस-1 जीएच-2, सेक्टर-सी पॉकेट-7 सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ समझा जाये।


(मंगेश कुमार)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:

1- अग्निशमन अधिकारी, पीजीआई, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कौटिल्य

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/67590/LCK/LUCKNOW/3552/CFO

दिनांक: 01-12-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **D.S.INFRAHEIGHTS PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **URBAN WOODS PHASE-01,GH-02, SECTOR-C,POCKET -7,SUSHANT GOLF CITY ,SULTANPUR ROAD,LUCKNOW** तहसील - **SAROJNINAGAR** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
URBAN WOODS PHASE 01 TOWER A B AND C	15	1	45.00 mt.
0	0	0	0 mt.
0	0	0	0 mt.

तथा प्लॉट एरिया **17924.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **D.S.INFRAHEIGHTS PVT LTD** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **07-12-2022** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANJEEV SHARMA ,9718346980** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-12-2022** से **09-12-2027** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : as per fso report

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MANGESH KUMAR

CB87BFF6B1829A27BD0DE9314F241D04CAB5CD81

10-12-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **10-12-2022**
स्थान : **LUCKNOW**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

कार्यालय, उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, लखनऊ रीजन विभूतिखण्ड-2 लखनऊ

संख्या: 469

उ०नि०/वि०सु०/स०री०/निरी०/2021-22

दिनांक: 23.10.21

सेवा में,

मेसर्स डी०एस० इन्फ्रा हाइड्रस प्रा०लि०
अरबन मुह अपार्टमेंट, सेक्टर-सी-7,
अंसल सिटी,
लखनऊ।

विषय- आपके परिसर में नव अधिष्ठापित फुल 06m लिफ्ट के विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

प्रसंग- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 21-10-2021 एवं टेजरी चालान संख्या-JBA0002 धनराशि 9000.00 दिनांक 08-10-2021 एवं कार्यपूरक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित प्रासंगिक पत्र के आधार पर विषयांकित अधिष्ठापन का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक, 25-10-2021 को किया गया। निरीक्षण के समय अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के सम्बंधित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक दशा में पाया गया। अतः उपरोक्त अधिष्ठापन को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

Sr No.	Sr. No.	Make
1	2-08-20-010	ThyssenKrupp Elevator
2	2-08-20-011	ThyssenKrupp Elevator
3	2-08-20-012	ThyssenKrupp Elevator
4	2-08-20-013	ThyssenKrupp Elevator
5	2-08-20-014	ThyssenKrupp Elevator
6	2-08-20-015	ThyssenKrupp Elevator

लिफ्ट का कार्य/अनुरक्षण ओरिजनल मैनुफैक्चरर से ही कराये। लिफ्ट का समय समय पर अनुरक्षण तथा ठीक प्रकार से परिचालन एवं यान्त्रिक रूप से ठीक रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। उक्त अनापत्ति मात्र विद्युत सुरक्षा से सम्बंधित है, यान्त्रिक सक्षमता की जिम्मेदारी मैनुफैक्चरर तथा उपभोक्ता की है।

भवदीय,

(जानेन्द्र सिंह)

उप निदेशक,

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन,
लखनऊ रीजन लखनऊ

संख्या:

उ०नि०/वि०सु०/स०री०/निरी०/2021-22 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ।
- 2- निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

(जानेन्द्र सिंह)

उप निदेशक,

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन,
लखनऊ रीजन लखनऊ



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

An Autonomous Constituent Institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow
SITAPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.), INDIA PIN-226021

email: dr.jbs.ced@gmail.com

Prof.(Dr.) J.B.Srivastava
Ph.D.(Civil Eng.) IIT Roorkee

No. IET/CE/Consultancy/JBS/638-2020

Dated: 14.01.2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This has reference to the structural design/drawings prepared and submitted by M/s Sthapati Associates (Pvt.) Ltd. 1/24 Vipul Khand Gomati Nagar Lucknow, for the construction of Group Housing 02, Urban Woods, Sector – C Pocket 7 at Sushant Golf City, Lucknow, UP.

The design/drawings has been checked and found OK as per relevant codes of BIS with regard to the earthquake resistant.



14.01.2020

Prof.(Dr.) J.B.SRIVASTAVA
Professor
Civil Engineering Department

Dr. J.B. Srivastava
Ph.D (Civil) IIT R
Professor, Civil & Co-ordinator STA (PMGSY)
Institute of Engineering & Technology,
Lucknow-226021



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ रीजन, लखनऊ

दिनांक: 25/10/2021

संख्या: 22VSNOCC03023344 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22

M/s D.S Infra Heights Private Ltd

Urban Wood Apartment Sec -C - 7, Ansal City, Lucknow

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS21145782 दिनांक 20/10/2021

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25/10/2021 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	General Engineering works	1500 KVA	11000 V	TRFD0350	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 1800 किलोवाट।

भवदीय,

epsingh

GYANENDRA SINGH
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ

संख्या: 22VSNOCC03023344वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22,तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, लखनऊ।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ जोन ।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

भवदीय,

epsingh

GYANENDRA SINGH
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ



www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें ।

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ रीजन, लखनऊ

दिनांक: 25/10/2021

संख्या: 22VSNOCC01023342 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2021-22

M/s D.S Infra Heights Private Ltd

Urban Wood Apartment Sec -C - 7, Ansal City, Lucknow

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS21146449 दिनांक 23/10/2021

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25/10/2021 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Genset	Kirloskar Oil Engines Ltd	500 KVA	440 V	LES3M721131661	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

भवदीय,

epsingh

GYANENDRA SINGH
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ

संख्या: 22VSNOCC01023342 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2021-22, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, लखनऊ।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ जोन ।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

भवदीय,

epsingh

GYANENDRA SINGH
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ



www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें ।

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.